भारतीय प्रतिभूति
और विनिमय बोर्ड
Securities and Exchange
Board of India

निगम वित्त विभाग / CORPORATION FINANCE DEPARTMENT
निगम पुनर्संरचना प्रभाग / DIVISION OF CORPORATE RESTRUCTURING
ई-मेल / E-mail - rohani@sebi.gov.in
दूरभाष सं. / Tel. No: 022-2644 9054

सेबी/एच.ओ./सी.एफ.डी./डी.सी.आर.-1/ओ.डब्ल्यू./पी./2020/ 17497
SEBI/HO/CFD/DCR-1/OW/P/2020/
October 20, 2020

Mr. Dhruv Bhavsar
Fedex Securities Private Limited
Address: C 1306, One BKC, G Block
Bandra Kurla Complex, Bandra East
Mumbai 400051

महोदय / महोदया,
Sir / Madam,

विषय / Sub: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना) विनियम, 2018 [सेबी (बाय-बैक ऑफ सिक्यूरिटीज़) रेग्यूलेशन्स, 2018] के अनुसार कंपनी James Warren Tea Limited के इक्विटी शेयरों को क्रय द्वारा वापस लेना /Buy-back of equity shares of the Company James Warren Tea Limited in terms of SEBI (Buy-back of Securities) Regulations, 2018 [Buyback Regulations]

1. आप कृपया अपने तारीख 14.09.2020 के पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किए गए प्रारूप प्रस्ताव-पत्र (ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर) का संदर्भ लें।
   Please refer to the draft letter of offer submitted vide your letter dated 14.09.2020.

2. मर्चेंट बैंकर (बैंककार) होने के नाते, आप यह सुनिश्चित कर लें कि प्रेस या किसी अन्य मीडिया को विज्ञापन, प्रेस विज्ञप्ति, साक्षात्कार आदि के माध्यम से दिया जाने वाला कोई भी बयान (कथन) [फिर चाहे वह बयान आपके द्वारा दिया जा रहा हो या फिर कंपनी द्वारा दिया जा रहा हो] प्रस्ताव-पत्र (लेटर ऑफ ऑफर) में प्रकट किए गए तथ्यों (प्रकटीकरणों) के अनुरूप ही हो।
   As a Merchant Banker, you are advised to ensure that any statements made to the press or any other media by way of advertisements, press release, interview etc., either by you or by the company shall only be based on disclosures contained in the letter of offer.

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना) विनियम, 2018 के विनियम 8(ii) के अनुसार, हम प्रस्तावित प्रस्ताव (ऑफर) हेतु प्रारूप प्रस्ताव-पत्र (ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर) के संबंध में अपनी टिप्पणियाँ आपको सूचित कर रहे हैं, जिनका उल्लेख हमने इस पत्र के साथ लगे '**संलग्नक**' में कर दिया है और जिन्हें प्रस्ताव-पत्र में अवश्य शामिल किया जाए।
   In terms of Regulation 8(ii) of the Buyback Regulations, we convey our comments on the draft letter of offer for the proposed offer, given in **Annexure** to this letter, which shall be incorporated in the letter of offer.

4. प्रस्ताव-पत्र [शेयर सौंपे जाने संबंधी फॉर्म (टेंडर फॉर्म) सहित] इस पत्र के प्राप्त होने की तारीख से पाँच कार्य-दिवसों के भीतर प्रेषित कर दिया जाए और उसके बाद प्रस्ताव (ऑफर) पाँच कार्य-दिवसों के भीतर खोल

दिया जाए। क्रियाकलापों (ऐक्टिविटी) की संशोधित समय-सारणी और उसके अनुसार पड़ने वाले प्रभावों / उसके अनुसार दूसरी बाध्यताओं के पालन संबंधी अपेक्षाओं के मद्देनज़र प्रस्ताव पत्र में, जहाँ-जहाँ जरूरी हो, आवश्यक बदलाव किए जाएँ।

The letter of offer along with tender form should be dispatched within five working days from the date of receipt of this letter and offer may open not later than five working days thereafter. Suitable amendments regarding the revised activity schedule and consequential effects/compliance of other obligations should be carried out in the letter of offer, wherever required.

5. आप प्रस्ताव (ऑफर) के खुलने की तारीख से पहले प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) में उपरोक्त बदलाव करके प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) की सॉफ्ट कॉपी भिजवा दें, ताकि हम उसे अपने वेबसाइट पर डलवा सकें और साथ ही आप हमें उसकी दो प्रिंट की हुई हार्ड कॉपी भी हमारे रिकॉर्ड के लिए भिजवाएँ।

   You shall submit a soft copy and two hard copies of the printed offer document incorporating the above mentioned changes for making the same available at our website and for the purpose of our records respectively before the offer opening date.

6. जिस पत्र (कवरिंग लेटर) के साथ प्रिंट किया हुआ (मुद्रित) प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) प्रस्तुत किया जाए, उसमें यह साफ-साफ उल्लेख हो कि इस पत्र में दी हुई हमारी हर टिप्पणी के संबंध में क्या कार्रवाई की गई और साथ ही प्रिंट किए हुए प्रस्ताव दस्तावेज की संबंधित पृष्ठ संख्याओं (पेज नंबरों) का भी उल्लेख किया जाए। प्रस्ताव दस्तावेज की प्रिंट की हुई किसी एक हार्ड कॉपी में, इस पत्र के माध्यम से सूचित की गई टिप्पणियों के अनुसार प्रस्ताव दस्तावेज में किए गए बदलावों को सही ढंग से उजागर (हाइलाइट) करके दर्शाया जाए।

   The covering letter, whereby the printed offer document is submitted, should specify how each of our comments mentioned in this letter has been dealt with, giving reference to the relevant page nos. of the printed offer document. In one of the hard copies of the printed offer document, changes in the offer document pursuant to comments conveyed vide instant letter should be duly highlighted.

7. यदि सुझाए गए बदलाव प्रस्ताव-पत्र (लेटर ऑफ ऑफर) में नहीं किए गए और उक्त विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया, तो उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त, हमारे पास प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव-पत्र में ऊपर बताए गए बदलावों के अलावा दूसरे कोई भी बदलाव न किए जाएँ।

   The failure to carry out the suggested changes in the letter of offer as well as violation of provisions of the Regulations will attract appropriate action. Further apart from above, no other changes shall be carried out in the letter of offer submitted to us.

8. हालाँकि, प्रस्ताव-पत्र (लेटर ऑफ ऑफर) दाखिल कर देने मात्र से, कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 (कंपनीज़ एक्ट, 2013) की धारा 68, धारा 69 और धारा 70 के किसी भी प्रावधान से अथवा ऐसी किसी भी अपेक्षा से छूट नहीं मिलेगी, जिसके अनुसार प्रस्तावित प्रस्ताव (ऑफर) के प्रयोजनार्थ कानूनी तौर पर कोई मंजूरी लेना या दूसरी कोई मंजूरी लेना जरूरी हो।

   The filing of letter of offer does not, however, absolve the company from any provisions of Section 68, Section 69 and 70 of the Companies Act, 2013 or from the requirement of obtaining such statutory or other clearances as may be required for the purpose of the proposed offer.

भारतीय प्रतिभूति
और विनिमय बोर्ड
Securities and Exchange Board of India

9. उपरोक्त टिप्पणियाँ जारी करने से किन्हीं मौजूदा कानूनों, नियमों या विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के तहत मंजूरियाँ लिए जाने संबंधी अपेक्षाओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।
The above comments are issued without prejudice to the applicability of any approvals to be obtained under any Laws, Rules or Regulations for the time being in force.

भवदीय / Yours faithfully,

Rohan Israni

Rohan Israni (रोहन इसरानी)
सहायक प्रबंधक / Assistant Manager

Annexure / संलग्नक

S. No.	Contents / Comments
1.	Update the data in the draft letter of offer (DLoO), at all applicable places, as on Record Date. Provide the pre buy-back shareholding pattern of the Company as on record date in the Letter of Offer.
2.	Ensure compliance with regulation 9(xi) of the Buyback Regulations to deposit the applicable amount in the Escrow Account before opening of the Buyback Offer and update the same in the letter of offer.
3.	Ensure compliance with SEBI Circulars dated April 13, 2015 and December 09, 2016 with respect to acquisition of shares through stock exchange mechanism. Follow the instructions specified by NSE in their respective circulars issued in connection with mechanism for acquisition of shares through Stock Exchanges pursuant to Buy Back.
4.	Since the designated stock exchange is BSE, ensure that sellers whose brokers are not registered with BSE are able to tender the shares through the buyer broker and make suitable disclosure regarding the same.
5.	Suitably incorporate the details furnished by you through correspondences to SEBI, in the letter of offer.
6.	Ensure compliance with regulation 24(1) (b) of the Buyback Regulations 2018 that the company shall not issue any shares or other specified securities including by way of bonus till date of closure of the offer made under the regulation.